भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1298
सोमवार, 11 दिसम्बर, 2023 / 20 अग्रहायण, 1945 (शक)

व्यापारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना

1298. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास आन्ध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के ऐसे व्यक्तियों की संख्या के संबंध में कोई आंकडे उपलब्ध हैं जिन्होंने व्यापारियों हेतु राष्ट्रीय पेंशन योजना में अपना नामांकन कराया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): व्यापारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना की शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी। यह व्यापारियों, दुकानदारों तथा स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात 3000/- रु. का मासिक न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्रदान करने के लिए एक स्वैच्छिक तथा अंशदायी पेंशन योजना है। 18-40 वर्ष के आयु वर्ग के व्यापारी, दुकानदार और स्व-नियोजित व्यक्ति, जिनका वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हैं और जो ईपीएफो/ईएसआईसी/एनपीएस (सरकार द्वारा वित्त-पोषित)/पीएम-एसवाईएम के सदस्य नहीं हैं और जो आयकर दाता नहीं हैं, इस योजना से जुडने के पात्र हैं। लाभार्थी की प्रवेश आयु के आधार पर अंशदान की राशि 55 रुपए से 200 रुपए के बीच होती है। योजना में नामांकन सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से किया जाता है। इसके अतिरिक्त, पात्र व्यक्ति www.maandhan.in पोर्टल पर जाकर स्व-नामांकन भी कर सकते हैं। योजना के अंतर्गत, 50% मासिक अंशदान लाभार्थी द्वारा देय होता है और समान अंशदान केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। दिनांक 04.12.2023 की स्थिति के अनुसार, आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले में पंजीकरण अभी शुरू नहीं हुआ है। तथापि, आंध्र प्रदेश राज्य में योजना के अंतर्गत 5,936 लाभार्थियों को नामांकन किया जा चुका है।

******